न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA075Satyanarayan etc Vs Muralidhare etc

1. सत्यनारायण पुत्र पुखराज गौड ब्राम्हण, निवासी पालीवालों का बास, पाली
2. पारस गौड पुत्र पुखराज गौड ब्राम्हण, निवासी पालीवालों का बास, पाली
3. श्रीमती रूपादेवी पुत्री पुखराज गौड ब्राम्हण पत्नी विजयराज, निवासी गांव चुनटीसरा, जिला नागौर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मुरलीधर गोदपुत्र स्व. मुल्तानमल ब्राम्हण
2. टीकमचन्द पुत्र मुरलीधर ब्राम्हण
3. विजयचन्द पुत्र मुरलीधर ब्राम्हण
4. अर्जुन पुत्र मुरलीधर ब्राम्हण
   निवासीगण गांव झांक, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर

---- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा दिनांक 07 जुलाई 2015 राजस्व वाद संख्या 54/2015 टीकमचन्द व अन्य बनाम मुरलीधर

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री अमरसिंह चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री हरीश जांगिड, अधिवक्ता-रेस्पो. 01

श्री गणपतलाल, चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 02 से 04

नि र्ण य

दिनांक : 23 जन., 2020

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2015 टीकमचंद व अन्य बनाम मुरलीधर में पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2015 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 28 जून 2019 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा कैम्प बिलाडा के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 02 से 04 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत एक दावा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 01 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम झांक की सरहद में स्थित आराजी खसरा संख्या 121/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 216 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में वादी संख्या एक का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 2 का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 3 का ¼ हिस्सा एवं प्रतिवादी का ¼ हिस्सा तथा खसरा संख्या 126 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के 4/9 हिस्से में वादी संख्या एक का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 2 का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 3 का ¼ हिस्सा एवं प्रतिवादी का ¼ हिस्सा घोषित किये जाने हेतु पेश किया, जो दिनांक 07 जुलाई 2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2015 को दर्ज किया गया, वादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 4 द्वारा अपने वाद के समर्थन में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वयं अपने तथा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के बयान करवाये। वादीगण-रेस्पो. संख्या दो से चार तथा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के मध्य हुआ राजीनामा भी उसी दिनांक को पेश किया गया। उक्त राजीनामा तस्दीक किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल मिसल किया गया और नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसी रोज दिनांक 07 जुलाई 2015 को उक्त दावा स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट्स के पिता पुखराज जी द्वारा रेस्पो. संख्या एक के पिता एवं रेस्पो. संख्या दो से चार के दादा श्री मुरलीधर जी से दिनांक 23 दिसम्बर 1982 को वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 216 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा विधिवत राशि रूपये 400/- मूल्यवान प्रतिफल चुकाते हुए खरीद कर कब्जा प्राप्त किया और वक्त खरीद से ही केता का कब्जा चला आ रहा है, वक्त खरीद में साख गवाह मदनलाल पुत्र चुन्नीलाल ब्राहम्ण की है, जिसका शपथपत्र भी पेश किया गया, वादीगण-रेस्पो. ने अधीनस्थ न्यायालय से तथ्यों को छिपाते हुए दावा पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी प्राप्त किये है। अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद दर्ज होने के बाद न तो नोटिस जारी किये गये, न तामील रिपोर्ट ली गयी और न ही भूमिधारक की हैसियत से तहसीलदार बिलाडा को पक्षकार बनाया गया। जिस दिन दावा पेश किया गया, उसी दिन दावा डिकी कर दिया गया। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स पक्षकार नहीं थे, अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पाली में निवास करते है और कभी कभार ही गांव में हासल लेने के लिए ही आना-जाना होता है। इसी सिलसिले में पिछली बार अपीलाण्ट संख्या दो अपने गांव गया तो रेस्पो. ने धमकियां दी कि अब यदि खेत में आये तो जान से मार देंगे, कोर्ट से हमारे पक्ष में आदेश करवा लिये है, अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तब अपीलाण्ट ने कोर्ट में जाकर प्रतिलिपि दिनांक 29 मई 2019 को प्राप्त की, और अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ आलौच्य अपील पेश की, और मियाद-प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया, जो स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जावे।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रस्तुत अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है और विलम्ब का कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण नही दर्शाया गया है। यहॉ तक कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी बाबत कोई निंश्चित समय बिन्दु भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कारण विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं अधूरें तथ्यों के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम खारिज किया जावे एवं तदनुसार अपील अपीलाण्ट्स मियाद-बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में अपीलाण्ट्स पक्षकार नहीं थे, ऐसी स्थिति में आलौच्य अपील पेश करने हेतु अदालत हाजा से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। मगर अपीलाण्ट्स ने अपील पेश करने बाबत विधिवत प्रार्थनापत्र मय शथपत्र प्रस्तुत नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया है। अतः इस आधार पर भी अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी कथन किया कि जिस तथाकथित बेचान इकरारनामा के आधार पर अपीलाण्ट्स आराजी खसरा संख्या 216 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कय किया जाना जाहिर करते है, वह मात्र दिनांक 23 दिसम्बर 1982 को लिखित एक अपंजीबद्ध बेचान इकरारनामा है जिसमें एक माह की अवधि में बेचान निष्पादित किये जाने का उल्लेख है। अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त बेचान इकरार के एक माह बाद के घटनाकम बाबत कहीं कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तथाकथित बेचान इकरारनामा के आधार पर अपीलाण्ट्स को कोई अधिकार एवं स्वत्व वादग्रस्त आराजियात के संबंध में उपलब्ध नहीं होते है।

अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा कैम्प बिलाडा के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 02 से 04 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत एक दावा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 01 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम झांक की सरहद में स्थित आराजी खसरा संख्या 121/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा एवं खसरा संख्या 216 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा में वादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एक का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 2 का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 3 का ¼ हिस्सा एवं प्रतिवादी का ¼ हिस्सा तथा खसरा संख्या 126 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के 4/9 हिस्से में वादी संख्या एक का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 2 का ¼ हिस्सा, वादी संख्या 3 का ¼ हिस्सा एवं प्रतिवादी का ¼ हिस्सा घोषित किये जाने हेतु पेश किया, जो दिनांक 07 जुलाई 2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2015 को दर्ज किया गया, वादीगण-रेस्पो. संख्या 2 से 4 द्वारा अपने वाद के समर्थन में स्वयं अपने तथा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के बयान करवाये। वादपत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष **जो जमाबंदी (खेवट/खतौनी) (प्रतिलिपि) ग्राम झाक तहसील बिलाडा संवत 2065-2068 पेश की गयी, उसके अनुसार** खाता संख्या नया 344 पुराना 352, 349 में खसरा संख्या 121/1 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा बारानी सोयम तथा खसरा संख्या 216 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा बारानी चारम का खातेदार **मुरलीधर गोद मुल्तानमल** कौम ब्राहम्ण साकिन देह दर्ज है, तथा इसी प्रकार खाता संख्या नया 379 पुराना 350 के खसरा संख्या 126 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा बारानी सोयम बाबत बासुदेव पि. भेराराम 1/3, **मुरलीधर गोद मुल्तानमल** 4/9, भागीरथ पि. जीवराज टीकमचंद पि. जीवराज कौम ब्राहम्ण, टीमूबानू पत्नी सुबानखां 1/9 कौम तेली सा. देह खातेदार दर्ज है। वादीगण-रेस्पो. संख्या दो से चार तथा प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या एक के मध्य हुआ राजीनामा भी उसी दिनांक को पेश किया गया। उक्त राजीनामा तस्दीक किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल मिसल किया गया और नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसी रोज दिनांक 07 जुलाई 2015 को उक्त दावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अदालत हाजा की राय में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है क्योंकि रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी पिता एवं वादीगण पुत्रों के मध्य पिता के जीवनकाल में उसकी खातेदारी भूमि का आपसी सहमति/रजामंदी से हक-हिस्सा तय घोषित करवाया गया है।

जिस बेचान-इकरारनामा के आधार पर अपीलाण्ट्स आराजी खसरा संख्या 216 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा कय किया जाना जाहिर करते है, अपील स्तर पर प्रस्तुत उसकी छाया-प्रति का अवलोकन करने पर प्रकट होता हैकि वह मात्र दिनांक 23 दिसम्बर 1982 को पॉच रूपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित एक ***अपंजीबद्ध बेचान इकरारनामा है जिसमें एक माह की अवधि में बेचान निष्पादित किये जाने का उल्लेख है।*** अपीलाण्ट्स द्वारा उक्त बेचान इकरार के एक माह बाद के घटनाकम बाबत कहीं कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। हम इकरारनामें की पालना में विकम विलेख निष्पादित होकर उसका राजस्व रिकाड में अमल दरामद होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त तथाकथित बेचान इकरारनामा के आधार पर अपीलाण्ट्स को हासिल कोई अधिकार एवं स्वत्व वादग्रस्त आराजियात के संबंध में हासिल नहीं होते है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में मूल वाद में अपीलाण्ट्स पक्षकार नहीं थे, **और अपील पेश करने बाबत विधिवत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शथपत्र प्रस्तुत** नहीं किया है। जबकि निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप आलौच्य अपील पेश करने हेतु अदालत हाजा से विधिवत अनुमति प्राप्त करना आवश्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

था। मगर अपीलाण्ट्स ने अतः इस आधार पर भी अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

मियाद के संबंध में भी अपील अत्याधिक विलम्ब से लगभग चार वर्ष बाद पेश की गयी है और विलम्ब को कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण नही दर्शाया गया है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी बाबत कोई निश्चित समय बिन्दु भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस कारण विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्पष्ट एवं अधूरें तथ्यों के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट मियाद बाहर एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाणीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 जुलाई 2015 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 23/1/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर